

 सत्यमेव जयते	केन्द्रीय वस्तु, सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्तालय, गांधीनगर OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL GST & CENTRAL EXCISE GANDHINAGAR सीमा शुल्क भवन, आकाशवाणी के पास, नवरंगपुरा, CUSTOM HOUSE, NEAR ALL INDIA RADIO, NAVRANGPURA, अहमदाबाद AHMEDABAD-380009 दूरभाष Ph. 079-27542608, फ़ैक्स Fax:079-27545021	
---	--	---

स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड ए डी द्वारा BY SPEED POST / REGD. A.D.

क A	फाईल संख्या File Number	GEXCOM/RTI/APP/93/2021-TECH
ख B	मूल आदेश संख्या Order in Original No..	40/ RTI/2020-21
ग C	पारित करने वाला passed by	श्री मनोज कुमार शर्मा/ Shri Manoj Kumar Sharma, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी Central Public Information Officer, सहायक आयुक्त Assistant Commissioner (सू-अधि RTI), केन्द्रीय वस्तु, सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, गांधीनगर, Central GST & Central Excise(H.Q)Gandhinagar
घ D.	आदेश / जारी करने का दिनांक Date of Order/Issue	03.03.2021
ड E	आवेदक का नाम व पता Name & Address of the applicant	सुश्री आरती बंसल. के-202, सरदार पटेल नगर, हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी, शास्त्री नगर,अहमदाबाद- पिनकोड-380013 K 202 Sardar Patel Nagar, Housing board Society, Shastri NagarAhmedabad, Pin:380013

यह मूल आदेश की प्रति संबंधित को निःशुल्क प्रदान की जाती है ।

This Order-in-Original is granted to the concerned free of charge.

यदि कोई व्यक्ति इस मूल आदेश से स्वयं को असंतुष्ट अनुभव करता है तो वह इस आदेश के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत श्री पदाला मोहन



Kar-Mitra
@ **9157702006**



Chat with us
@**Live Seva Kendra** on
www.cgstgandhinagar.gov.in

राव, अपर आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, गांधीनगर 2 री मंजिल, सीमा शुल्क भवन, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009 को अपील दाखिल कर सकता है।

Any person aggrieved by this Order-in-Original may file an appeal under section 19(1) of the Right to Information Act, 2005 to: Shri Padala Mohan Rao, Addl. Commissioner, Central GST & Central Excise, Gandhinagar, 2nd floor, 'Custom House', Navrangpura, Ahmedabad – 380009.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के उपबंधों के अनुसरण में इस आदेश की प्राप्ति की दिनांक से 30(तीस) दिनों के भीतर अपीलिय प्राधिकारी के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है।

Appeal shall be filed within 30 (thirty) days from the date of receipt of this order in accordance with the provisions of section 19(1) of the Right to Information Act, 2005, before the Appellate Authority.

**सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) के अंतर्गत आदेश
ORDER UNDER SECTION 7(1) OF THE RIGHT TO INFORMATION
ACT, 2005**

सुश्री आरती बंसल. के-202, सरदार पटेल नगर, हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी, शास्त्री नगर, अहमदाबाद- पिनकोड-380013 ने अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन दाखिल किया है, जिसका पंजीकरण संख्या. CCEAB/R/E/21/00009 दिनांक 21.01.2021 है।

यह आवेदन पत्र इस कार्यालय में प्रधान मुख्य आयुक्त अहमदाबाद जोन के कार्यालय के पत्र फा.स. GCCO/RTI/APP/83/2021-TECH दिनांक 27.01.2021 के साथ प्राप्त हुआ था।

यह आवेदन पत्र इस कार्यालय में 10-02-2021 को प्राप्त हुआ है।

Ms. Arti Bansa, K 202 Sardar Patel Nagar, Housing board Society, Shastri Nagar Ahmedabad, Pin:380013 has filed a RTI application dated. 21.01.2021. The said application was transferred from the Office of the Principal Chief Commissioner, Central GST, Ahmedabad Zone, GST Bhavan Revenue Marg, Ambawadi, Ahmedabad-380015 to this office of the Central GST & Central Excise, Gandhinagar. The letter F.No. GCCO/RTI/APP/83/2021-TECH dated 27.01.2021 of Joint Commissioner(CPIO), Office of the Principal Chief Commissioner, Ahmedabad Zone was received in this office of the Central GST & Central Excise, Gandhinagar on 10.02.2021 as per the provision of Section 6(3) of the RTI Act-2005.



Kar-Mitra
@ [9157702006](https://www.9157702006.com)



Chat with us
@[Live Seva Kendra](https://www.live-seva-kendra.com) on
www.cgstgandhinagar.gov.in

इस बारे में, मुख्यालय से संबंधित अपेक्षित सूचना नीचे बताए अनुसार है। In this regard, the required information pertaining to H.Q. office is as below:-

बिंदु नंबर:- 01 लागू नहीं

बिंदु नंबर:- 02 लागू नहीं

बिंदु नंबर:- 03 लागू नहीं

आपके द्वारा मांगी गयी जानकारी के सन्धर्भ में सूचित किया जाता है की बिंदु नंबर:- 01 से 03 तक लागू नहीं है।

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी,
Central Public Information Officer,
केवसेक व केंद्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीनगर
CGST & Central Excise, Gandhinagar

सेवा में /To

सुश्री आरती बंसल.

के-202, सरदार पटेल नगर, हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी,

शास्त्री नगर, अहमदाबाद- पिनकोड-380013

प्रतिलिपि:

1. संयुक्त आयुक्त एवं केंद्रीय लोक सूचना का अधिकार,

प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालय, अहमदाबाद क्षेत्र के पत्र फ़ासं.

GCCO/RTI/APP/83/2021-TECH दिनांक 27.01.2021 के सन्धर्भ में।

2. सहायक आयुक्त, (प्रणाली अनुभाग) केंद्रीय जीएसटी एवं उत्पाद शुल्क, गांधीनगर कार्यालय की वैबसाइट पर अपलोड करने के हेतु।



Kar-Mitra
@ [9157702006](https://www.9157702006.com)



Chat with us
@ [Live Seva Kendra](https://www.cgstgandhinagar.gov.in) on
www.cgstgandhinagar.gov.in